

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 599 जयपुर/2009-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि संग्रहण संस्था, 192/38


गुरु गागाजी, पतापनवार जयपुर जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 09 माह अक्टूबर सन् दो हजार ने (2009)

को जयपुर में किया गया।


वी.के. तर्न
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार
संस्थाएं, जयपुर